साक्षरता वृद्धि प्रोत्साहन योजना

Page No.

BLANK

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

क्रमांक फा 12-167/86/2/25

भोपाल, दिनांक 25-2-88

प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः—आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में 'साक्षरता वृद्धि प्रोत्साहन' योजना 1988.

संदर्भः—आदिवासी विकास आयुक्त की अशासकीय टीप क्रमांक 39/240, दिनांक 25-8-86.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा साक्षरता वृद्धि हेतु बहुत बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थाएं एवं आवासीय संस्थाएं संचालित की जा रही है. इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, अनौपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र आदि भी संचालित किए जा रहे हैं, परन्तु पिछले कुछ वर्षों में आदिवासियों की साक्षरता में अन्य लोगों की तुलना में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकी है.

2. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में साक्षरता वृद्धि की दृष्टि से 20 वर्ष से 40 वर्ष के निरक्षर व्यक्तियों को विभागीय शिक्षकों के माध्यम से साक्षर बनाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दर्शाए अनुसार साक्षरता वृद्धि योजना स्वीकृत की जाती है. यह योजना वर्ष 1988-89 से प्रभावशील मानी जावेगी.

3. आदिम जाति कल्याण विभाग की विभिन्न स्तरीय शालाओं में कार्यरत शिक्षकों द्वारा 20 से 40 वर्ष के निरक्षर लोगों को शिक्षा देकर दो वर्ष में कक्षा 5 पास कराना होगा. विभागीय शिक्षक को निर्धारित आयु सीमा के निरक्षर व्यक्ति का जिला मुख्यालय में पदस्थ विभागीय अधिकारी से पंजीयन कराना होगा. पंजीयन की तिथि के दो वर्ष बाद ही साक्षरता वृद्धि भत्ते के दावे विचार में लिए जा सकेंगे. दो वर्ष की शिक्षण अवधि के दौरान संबंधित निरक्षर व्यक्ति को कोई शुल्क आदि नहीं देना होगा तथा पांचवीं बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये भी कोई शुल्क नहीं देना होगा. शुल्क पर होने वालां व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा. पंजीकृत निरक्षर व्यक्ति के कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने पर संबंधित शिक्षक को रुपये 300/- प्रति सफल व्यक्ति की दर से 'साक्षरता वृद्धि भत्ता' प्रदाय किया जाएगा. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 243/एस. आर. 117/चार-9-5, दिनांक 6-3-88 द्वारा पृष्ठांकित की गई.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(देवेन्द्र सिंघई)
संयुक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग.

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में साक्षरता वृद्धि प्रोत्साहन योजना

(1) यह योजना आदिवासी उपयोजना में साक्षरता वृद्धि प्रोत्साहन योजना 1988 कहलायेगी तथा यह वर्ष 1988-89 से लागू हो जाएगी.

(2) इस योजना में 20 से 40 वर्ष के निरक्षर लोगों को विभागीय शिक्षकों द्वारा एक या दो वर्ष की अनौपचारिक शिक्षा दी जाकर कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा पास करानी होगी.

(3) निरक्षर व्यक्ति द्वारा कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा पास होने पर संबंधित शिक्षक को प्रति व्यक्ति रुपये 300/- साक्षरता वृद्धि भत्ता देय होगा.

(4) इच्छुक शिक्षक उन निरक्षर लोगों के नाम पते आयु आदि विवरण के साथ 30 जून तक विभाग के जिला कार्यालय को आवेदन-पत्र देंगे. विभागीय जिला कार्यालय में इस योजना का एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसका प्रारूप संलग्न प्रपत्र "एक" के अनुसार होगा.

(5) पंजीयन के लिए प्रस्तुत नामों की छानबीन जिला कार्यालय द्वारा जिला जनगणना कार्यालय में रखे व्यक्तिवार अभिलेख से किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित व्यक्ति वर्ष 81 की जनगणना के अनुसार निरक्षर है, अन्यथा ऐसे प्रस्तुत नाम पर विचार नहीं किया जाएगा.

(6) आवेदन-पत्रों की जांच एक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे:—

(1) आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी (सहायक आयुक्त या जिला संयोजक जैसी स्थित हो).
(2) शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी.
(3) समाज कल्याण विभाग के जिला पंचायत एवं समाज कल्याण अधिकारी.

उपरोक्त समिति द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों की नियमानुसार जांच के उपरांत संबंधित शिक्षक आवेदक को प्रपत्र-2 में स्वीकृति जारी की जाएगी.

(7) दो वर्ष बाद प्रश्नास्पद निरक्षर व्यक्तियों के 5वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम की प्रतिलिपि के साथ आवेदक प्रोत्साहन राशि का दावा आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे प्राप्त दावे की जांच भी उक्त समिति द्वारा ही की जाएगी तथा प्रपत्र 3 में "स्वत्व भुगतान प्रमाण-पत्र" जारी किया जाएगा.

(8) "स्वत्व भुगतान प्रमाण-पत्र" के आधार पर विभाग के जिला अधिकारी को स्वीकृत राशि भुगतान करने के अधिकार होंगे.

(9) इस योजना से ऐसे निरक्षर शामिल नहीं किए जाएंगे, जो किसी प्रौढ़ शिक्षा कक्षा या औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र में कभी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं या कर रहे हैं. यह प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ आवेदक शिक्षक को संलग्न प्रपत्र-4 में देना होगा.

(10) आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा इस योजना की सतत् समीक्षा की जाती रहेगी तथा वर्ष में 2 बार जुलाई-अगस्त एवं फरवरी-मार्च में जिलों से प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किये जायेंगे तथा राज्य शासन को भेजे जायेंगे.

(11) योजना का मूल्यांकन दो वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्थान द्वारा किया जाएगा.

हस्ता./-
संयुक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.
आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग.

प्रपत्र-एक

साक्षरता वृद्धि प्रोत्साहन योजना 1988 वर्ष 1988-89 का रजिस्टर

क्र.	आवेदक शिक्षक का नाम	शिक्षण संस्था का नाम जहां वह कार्यरत है	आवेदन-पत्र दिनांक	साक्षरता हेतु प्रस्तुत निरक्षर व्यक्ति का विवरण				संबंधित निरक्षर व्यक्ति बाबद जांच समिति का अभिमत
				व्यक्ति का नाम	आयु	पता	क्या व्यक्ति द्वारा किसी प्रौढ़ शिक्षा कक्षा या अनौपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र का सदस्य रहा है	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

प्रपत्र-दो

क्रमांक	स्वीकृति जारी करने का दिनांक	जनगणना 1981 के अनुसार संबंधित व्यक्ति के साक्षरता/ निरक्षरता का विवरण	पांचवीं बोर्ड परीक्षा पास करने का वर्ष	समिति द्वारा शिक्षको को स्वीकृत की गई राशि	शिक्षक को राशि भुगतान करने का दिनांक तथा शिक्षक की अभिस्वीकृति	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

प्रपत्र-तीन

कार्यालय, जिलाध्यक्ष (आदिम जाति कल्याण शाखा)

स्वत्व भुगतान प्रमाण-पत्र

श्री .... (नाम) .... शिक्षक ....

(संस्था का नाम व पता) .... को वर्ष . . . . में संलग्न सूची अनुसार साक्षरता वृद्धि प्रोत्साहन योजना 1988 के अन्तर्गत निरक्षरों को साक्षर बनाने की स्वीकृति दी गयी थी. शिक्षक द्वारा इन निरक्षरों द्वारा उनके सामने दर्शाये गये वर्ष में 5वीं बोर्ड परीक्षा पास करने का प्रमाण-पत्र दिया गया है तथा प्रति व्यक्ति रुपये 300/- की राशि की मांग की गयी है. शिक्षक द्वारा प्रस्तुत दावे का जांच समिति द्वारा परीक्षण किये जाने पर पाया गया है कि उसके द्वारा दी गयी सूची में से नीचे बताये गये निरक्षर व्यक्तियों ने पांचवी बोर्ड परीक्षा पास कर ली है और ऐसे पासशुदा व्यक्तियों के परीक्षा प्रमाण-पत्र इस योजना से संबंधित रिकार्ड में शामिल किये जा रहे हैं. अत: इस योजना के अधीन उपर्युक्त शि7क को रुपये 300/- प्रति व्यक्ति के मान से कुल रुपये . . . . स्वीकृति किए गये हैं. यह राशि योजना अन्तर्गत प्राप्त आवंटन के अन्तर्गत आहरित कर संबंधित शिक्षक को भुगतान की जाएगी.

दिनांक

हस्ताक्षर ....

नाम ....

सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण.

सूची

स. क्र.	पंजीयत निरक्षर का नाम	आयु	पता	5वीं बोर्ड परीक्षा पास करने का वर्ष	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

कार्यालय, जिलाध्यक्ष (आदिम जाति कल्याण शाखा)

स्वीकृति

श्री .... (शिक्षक का नाम) .... शिक्षक ....

(संस्था का नाम व पता) .... द्वारा साक्षरता वृद्धि प्रोत्साहन योजना 1988 के अन्तर्गत प्रेषित आवेदन-पत्र दिनांक . . . . के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निरक्षरों को साक्षर बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है.

अ. क्र.	निरक्षर व्यक्ति का नाम	आयु एवं पता

स्थान ....

दिनांक . . . .

स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
स्वीकृतिकर्ता अधिकारी का नाम
स्वीकृति अधिकारी का पद
(सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आ. जा. क.)

प्रपत्र-चार

प्रमाण-पत्र

श्री .... आयु . . . .

निवासी .... तहसील .... जिला ....

.... जिन्हें मैंने साक्षरता वृद्धि प्रोत्साहन योजना 1988 साक्षर किये जाने हेतु चुना है, वर्ष 1981 की जनगणना अनुसार निरक्षर है तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार इन्होंने इसके उपरांत भी न तो किसी अन्य प्रौढ़ शिक्षा कक्षा या औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र में कभी शिक्षा प्राप्त की है और न ही वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं.

शिक्षक का हस्ताक्षर